रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01012022-232341
CG-DL-E-01012022-232341

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 690] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 30, 2021/पौष 9, 1943
No. 690] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 30, 2021/PAUSHA 9, 1943

भारतीय खाद्य निगम

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2021

सं .135

सं. ई.पी.-39 (1)/2020.—खाद्य निगम, अधिनियम 1964 (1964 का 37वां) की धारा 45 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केंद्र सरकार द्वारा पूर्वानुमति से, भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृंद) विनियम, 1971 में और संशोधन के लिए भारतीय खाद्य निगम एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है :

1. (i) ये विनियम भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृंद) का (सातवाँ संशोधन) विनियम, 2021 कहलाएंगे।

(ii) ये सरकारी राजपत्र में अधिसूचना की तिथि से लागू होंगे।

2 भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृंद) विनियम, 1971 में अध्याय 5-अनुशासन और अपील विनियम के तहत विनियम 60-ए के नीचे एक नया विनियम 60-बी निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:

"60-बी - आर्थिक नुकसान की वसूली के लिए पेंशन धनराशि (कॉर्पस) के नियोक्ता अंशदान को रोकने की प्रक्रिया:

(i) *आरोप पत्र जारी करके अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने के दौरान, अनुशासनात्मक प्राधिकारी पेंशन से वसूली का आदेश देने के लिए नियोक्ता द्वारा किए गए अंशदान से संचित पेंशन राशि को रोक सकता है यदि, कर्मचारी को सेवा में रहते हुए अनुशासनात्मक अथवा न्यायिक कार्यवाही में निगम को आर्थिक नुकसान हुआ है, जिसमें प्रतिनियुक्ति पर प्रदान की गई सेवा अथवा सेवानिवृत्ति के बाद पुन: नियोजन शामिल है।*

यदि अनुशासनात्मक या न्यायिक कार्यवाही अनिवार्य सेवानिवृत्ति या सेवा से हटाने या विनियम 54 (vii), (viii) या (ix) के तहत बर्खास्तगी के दंड को लागू करने में समाप्त होती है, तो पेंशन कॉर्पस में नियोक्ता का अंशदान जब्त कर लिया जाएगा।

बशर्ते डीसीपीएस/पीएफआरडीए अधिनियम के संगत प्रावधानों, उसके तहत अधिसूचित विनियमों और रूल्स, जैसा भी मामला हो, को ध्यान में रखा जाएगा।

एम. के. गोगोई, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./553/2021-22]

टिप्पणी : मुख्य विनियम भारत के राजपत्र में दिनांक 08.05.1971 की अधिसूचना के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे तथा तदनुरूप अंतिम बार निम्न के माध्यम से संशोधित किये गए ।

क्र .सं.	शीर्षक	दिनांक
1.	भा. खा. नि., विनियम (कर्मचारिवृंद) (पहला संशोधन), 2021	02.06.2021
2.	भा. खा. नि., विनियम (कर्मचारिवृंद) (दूसरा संशोधन), 2021	02.06.2021
3.	भा. खा. नि., विनियम (कर्मचारिवृंद) (तीसरा संशोधन),2021	17.06.2021
4.	भा. खा. नि., विनियम (कर्मचारिवृंद) (चौथा संशोधन), 2021	26.08.2021
5.	भा. खा. नि., विनियम (पाँचवाँ संशोधन) (कर्मचारिवृंद), 2021	08 12.2021.
6.	भा.खा. नि., विनियम (कर्मचारिवृन्द) (छठवां संशोधन), 2021	15 12.2021.

FOOD CORPORATION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December, 2021

No. 135

No. EP. 39 (1)/2020.—In exercise of the powers conferred by Section 45 of Food Corporation Act, 1964 (37 of 1964) and with the previous sanction of the Government of India, the Food Corporation of India hereby makes the following Regulations to further amend the Food Corporation of India (Staff) Regulations, 1971 namely:-

1. (i) These Regulations shall be called the Food Corporation of India (Staff) (Seventh Amendment) Regulations, 2021.

(ii) These shall come into force from the date of Notification in the Official Gazette.

2. A new Regulation 60-B below Regulation 60-A under Chapter 5- Discipline and Appeal Regulations shall be inserted In the Food Corporation of India (Staff) Regulations, 1971 as under:

"60-B – Procedure for withholding of employer contribution of the pension corpus for recovery of pecuniary loss:

(i) *During initiation of the Disciplinary Proceeding by issue of charge sheet, the Disciplinary Authority may withhold pension corpus accumulated by the contributions made by the employer for ordering recovery from pension if, the employee is found to have caused pecuniary loss to the Corporation in the disciplinary or judicial proceedings while in service including service rendered on deputation or on re-employment after retirement.*

If, the disciplinary or judicial proceedings culminate in imposition of a penalty of compulsory retirement or removal from service or dismissal under Regulation 54 (vii), (viii) or (ix) the employer's contribution to the pension corpus shall be forfeited.

Provided the relevant provisions of DCPS/PFRDA Act, Regulations and Rules notified thereunder as the case may be, shall be kept in view.

M. K. GOGOI, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./553/2021-22]

Note : The Principal Regulations were published in the Gazette of India vide Notification dated 8.5.1971 and subsequently have been amended being lastly vide:-

Sl. No.	Title	Dated
1	FCI(Staff) (1st Amendment) Regulations, 2021	02.06.2021
2	FCI(Staff) (2nd Amendment) Regulations, 2021	02.06.2021
3	FCI(Staff) (3rd Amendment) Regulations, 2021	17.06.2021
4	FCI(Staff) (4th Amendment) Regulations, 2021	26.08.2021
5	FCI(Staff) (5th Amendment) Regulations, 2021	08.12.2021
6	FCI(Staff) (6th Amendment) Regulations, 2021	15.12.2021

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.01.01 17:00:04 +05'30'